आम्बेडकर ने अनुच्छेद 370 के मसौदे से किया था इनकार?

आइए, गौर करते हैं कि संविधान निर्माता डॉ. बी. आर. आम्बेडकर के अनुच्छेद ३७० की बाबत कथित व्यक्त विचार पर। जब-जब कश्मीर खबरों में होता है, तब-तब सोशल मीडिया पर आम्बेडकर का यह व्यापक रूप से वायरल होने लगता है, साझा किया जाता है। सुब्रमण्यम स्वामी, सुशील पंडित और अन्य तमाम दक्षिणपंथी नेता प्रत्येक मंच से इसे उद्धृत करने लग पड़ते हैं। तमाम पत्र-पत्रिकाएं इसे

- बताया जाता है कि डॉ. आम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था : 'आप चाहते हैं कि भारत को आपकी सीमा की सुरक्षा करनी चाहिए, आपके क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना चाहिए, आपको खाद्य और खाद्यान्नों की आपूर्ति करनी चाहिए और कश्मीर को भारत सरीखा दरजा मिलना चाहिए। लेकिन भारत सरकार के अधिकार सीमित ही हों और भारतीयों का कश्मीर में कोई अधिकार ही न हो। इस प्रस्ताव पर सहमति देना भारत के हितों के विरुद्ध विश्वासघात होगा और मैं, भारत के विधि मंत्री के रूप में, ऐसा कदापि नहीं करूंगा।'
- डॉ आम्बेडकर के लेखन पर न्यू इंडिया डिबेट सोसायटी की ओर तीन साल से ज्यादा समय तक आयोजित व्याख्यानमाला के दौरान हमने आम्बेडकर के तमाम लेखन पर शोध किया। खासकर, पाकिस्तान और भारतविभाजन संबंधी संविधान सभा में चर्चा आदि से संबंधित उनके लेखन और भाषणों का अवलोकन किया तो पाया कि अनुच्छेद 370 पर उनका कोई पुष्टिकारक कथन या लेखन नहीं था, न ही इस बारे में कोई दस्तावेज मिला। रोचक यह कि उनके 'शुरू में मसौदा तैयार करने संबंधी इनकार' का हवाला तरुण भारत, आरएसएस का मुखपत्र, के 1991 में प्रकाशित अंक में मिलता है। इसे बलराज मधोक, आरएसएस के वरिष्ठ नेता, से बातचीत को उद्धृत करते हुए प्रकाशित किया गया-आम्बेडकर की मृत्यु के चालीस वर्ष बाद। आरएसएस विचारक द्वारा अपनी बातचीत में व्यक्त आम्बेडकर के विचार पर विश्वास करना निहायत भोलापन होगा। खासकर उस स्थिति में जब आम्बेडकर के अपने लेखन में इस बाबत उल्लेख नहीं मिलता। इससे पूर्व तक प्रिंट या टेलीविजन मीडिया में कभी भी अनुच्छेद 370 पर आम्बेडकर के उपरोक्त विचार का जिक्र तक नहीं हुआ था। मैं इस लेख में उन लोगों को इस विचार की पुष्टि करने की चुनौती देता हूं, जो दो दशकों से ज्यादा समय तक उपरोक्त विचार की झूठी खबर को फैलाते रहे और पुष्टिकारक दस्तावेज के रूप में पेश करते रहे।
- कश्मीर पर डॉ. आम्बेडकर के विचारों के बारे में दस्तावेजी प्रमाण सिर्फ 10 अक्टूबर, 1951 को दिए गए उनके भाषण में मिलता है। इसका विवरण आम्बेडकर राइटिंग्स, वॉल्यूम 14, भाग दो (पृष्ठ संख्या 1317-1327) में मिलता है। इसमें उन्होंने कहा है : 'पाकिस्तान से हमारा झगड़ा हमारी विदेश नीति का हिस्सा है, जिसे लेकर मैं बेहद असंतुष्ट हूं। दो कारणों से पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों में व्यवधान पड़ा हैएक कारण कश्मीर है, और दूसरा हैपूर्वी बंगाल में हमारे लोगों की दशा। मेरा मानना था कि पूर्वी बंगाल में हमें ज्यादा संजीदा होना चाहिए, जहां हमारे लोगों की स्थिति अखबारों में छपे के मुताबिक कश्मीर के बरक्स ज्यादा चिंता में डाल देने वाली है। लेकिन इससे बेपरवाह बने रहते हुए हमने अपना सारा ध्यान कश्मीर के मुद्दे पर केंद्रित कर दिया। मुझे लगता है कि हम फालतू के मुद्दे पर लड़ते रहे हैं। ज्यादातर इस बात पर कि कौन गलत है और कौन सही। मेरा मानना है कि सवाल सहीगलत का नहीं बल्कि यह है कि क्या सही है। मुख्य सवाल के साथ इस बात पर गौर करते हुए मेरा हमेशा से मानना है कि कश्मीर विभाजन सही समाधान है।'
- 'हिंदू और बौद्ध संख्यक हिस्से को भारत और मुस्लिम हिस्से को पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए जैसा कि भारत विभाजन के मामले में हमने किया था। हम सही मायनों में कश्मीर के मुस्लिम हिस्से को लेकर बेफिक्र नहीं हैं। यह मामला कश्मीर के मुस्लिमों और पाकिस्तान के बीच का है। वे जैसा चाहें इसे सुलझा सकते हैं। या चाहें तो इसे तीन हिस्सों में बांट लें : युद्ध विराम वाला क्षेत्र, घाटी और जम्मूलद्दाख तथा केवल घाटी में ही जनमत संग्रह कराएं। मुझे लगता है कि प्रस्तावित जनमत संग्रह, जो समूचा जनमत संग्रह होगा, में कश्मीर के हिंदुओं और बौद्धों को उनकी इच्छा के विरुद्ध पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाएगा और हमें वैसी ही समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जो आज हम पूर्वी बंगाल में देख रहे हैं।"आम्बेडकर के विचारों को ज्यादातर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्रों, जिनमें मैनचेस्टर गार्डियन भी शामिल था, ने सराहा था।
- स्पष्ट है कि आम्बेडकर, जो सच्चे लोकतंत्रवादी होने के नाते स्वनिर्णय के अधिकार के पैरवीकार थे, को एक युद्धपिपासु के रूप में पेश किया जा रहा है, या लंबे समय तक चले विवाद का कारण बने संवेदनशील मसले का संघी अभिरक्षक करार दिया जा रहा है। इसकी आड़ में आरएसएस के एजेंडाअनुच्छेद 370 का खात्माको आगे बढ़ाया गया। विजेता और तानाशाह इतिहास रच सकते हैं। हमेशा से ऐसा होता आया है, लेकिन आज के समय में ध्यान रखना होगा कि गौण वृत्तांत वैकल्पिक मुख्यधारा होता है। (प्रतीक टेमभुरने) ■

कांग्रेस पहले अपना घर ठीक कर ले

■ प्रमोद जोशी
वरिष्ठ पत्रकार

कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के पचड़े और राहुल गांधी के इस्तीफे के कारण पैदा हुए संकट से बाहर निकली भी नहीं थी कि अनुच्छेद 370 को लेकर विवाद पैदा हो गया है। यह विवाद पार्टी के भीतर का मामला है। एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्न पर पार्टी के भीतर से निकल रहे दो प्रकार के स्वरों को व्यक्त कर रहा है। एक मायने में इसे अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण कहा जा सकता है। मतभेद होना गलत बात तो नहीं। अलबत्ता, कांग्रेस की परंपरा, नेतृत्व शैली और आंतरिक संरचना को देखते हुए यह अटपटा है।

अनुच्छेद 370 के तहत जम्मूकश्मीर को मिली स्वायत्तता को समाप्त करने का समाचार मिलने के बाद पूर्व सांसद जनार्दन द्विवेदी ने जब राम मनोहर लोहिया को उद्धृत करते हुए अपना समर्थन व्यक्त किया तो इसमें ज्यादा हैरत नहीं हुई। हैरत ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्वीट पर हुई जिसमें उन्होंने कहा, मैं जम्मूकश्मीर और लद्दाख संबंधी फैसले का समर्थन करता हूं।

अनेक असहमतियां

उनसे पहले मिलिंद देवड़ा, अनिल शास्त्री और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी करीबकरीब ऐसी ही राय व्यक्त की थी। इसके पहले राज्य सभा में पार्टी के सचेतक भुवनेश्वर कलिता ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि इस मुद्दे पर मेरी अलग राय है। उत्तर प्रदेश की विधायक अदिति सिंह ने भी पार्टी लाइन से हटकर अपने विचार व्यक्त किए। वे राहुल की करीबी मानी जाती हैं। सबसे ज्यादा विस्मय डॉ कर्ण सिंह की बात पर हुआ। उन्होंने भी सरकार के फैसले का समर्थन किया। डॉ कर्ण सिंह का प्रतीकात्मक महत्त्व भी है, क्योंकि वे जम्मूकश्मीर के पूर्व नरेश महाराजा हरि सिंह के पुत्र हैं।

पुरानी पीढ़ी के नेता 370 को नेहरू की 'पवित्र देन' मानते हुए उसके विरोध में जाने से घबरा रहे हैं, पर नई पीढ़ी के नेताओं को अपने चुनाव क्षेत्र की फिक्र है। उन पर जनमत का दबाव है। सवाल केवल कश्मीर का नहीं, नये भारत का है। असल समस्या नैरेटिव की है, जिसे कांग्रेस पार्टी स्पष्ट नहीं कर पा रही है

इस मामले में व्यक्तिगत राय से ज्यादा दो बातें ध्यान खींच रही हैं। पहली, पार्टी अनुच्छेद 370 को लेकर कोई निश्चित राय नहीं बना पाई है। कश्मीर घाटी में गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं के भरोसे है। शीर्ष स्तर पर पी चिदंबरम ने कड़ा रुख अख्तियार किया है, पर शेष देश में कार्यकर्ता अपनी-अपनी पतंगें उड़ा रहे हैं। दूसरे, इस असमंजस को दूर करने के लिए पार्टी कार्यसमिति की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव में 370 पर राय व्यक्त करने से ज्यादा इस बात पर जोर दिया गया कि सरकार ने इसे हटाने में पूरी प्रक्रिया को नहीं अपनाया और कश्मीरियों को भरोसे में नहीं लिया। राहुल के इस्तीफे के बाद से पार्टी में असमंजस बढ़ता जा रहा है। होना तो यह चाहिए था कि पार्टी फौरन कोई फैसला करती, पर लगता यह है कि उसे टाला जा रहा है। पहले कहा गया था कि संसद के सत्रावसान के बाद कार्यसमिति की बैठक में इस सवाल पर विचार किया जाएगा। बैठक हुई भी तो वह अनुच्छेद 370 में उलझ कर रह गई। अब आज (10 अगस्त को) कार्यसमिति की बैठक में नेतृत्व के सवाल पर बात होगी।

विचारधारा का सवाल

संयोग से समय की धारा ने पार्टी को ऐसे किनारे पर ला पटका है, जहां से उसे अपने गंतव्य को फिर से तलाशना है। अनुच्छेद 370 की कसौटी पर उसकी परीक्षा होने वाली है, क्योंकि मोदी सरकार की भी यह सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी है। मोदी सरकार यदि इस परीक्षा को पार कर गई, तो उसे पकड़ पाना आसान नहीं होगा। सवाल है कि कांग्रेस क्या करे? पुरानी पीढ़ी के नेता 370 को नेहरू की 'पवित्र देन' मानते हुए उसके विरोध में जाने से घबरा रहे हैं, पर नई पीढ़ी के नेताओं को अपने चुनाव क्षेत्र की फिक्र है। सवाल कश्मीर का नहीं, नये भारत का है। असल समस्या उस नैरेटिव की है, जिसे कांग्रेस स्पष्ट नहीं कर पा रही है। वह कैसा भारत बनाना चाहती है? उसका वोटर कौन है? वह किस इलाके के वोटर को अपनी तरफ खींचना चाहती है और कैसे? नई पीढ़ी के नेता और कार्यकर्ता पार्टी के परंपरागत तौरतरीकों के कायल नहीं हैं, और नये तौरतरीके परिभाषित नहीं हैं। सबसे बड़ी बात कि अब नेहरूगांधी परिवार का करिश्मा भी काम नहीं कर रहा है।

विचार-मंथन का मौका

बहरहाल, यह संकट कांग्रेस को उस खोज को पूरा करने का मौका दे रहा है। उसके पास विमर्श का अवसर है। अनुच्छेद 370 के बहाने पार्टी के भीतर जो असहमतियां व्यक्त हुई हैं, उनकी सकारात्मक भूमिका भी हो सकती है बशर्ते पार्टी मौके का लाभ उठाए। यह एक प्रकार से पार्टी के भीतर उस अंतर्मथन की शुरुआत भी साबित हो सकती है, जिसकी जरूरत अरसे से महसूस की जा रही है। कांग्रेस अब उन्हीं तौरतरीकों के सहारे नहीं चल सकती, जो लंबे अरसे से अपनाए जा रहे हैं। उन तरीकों की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। उसे नये मुहावरों, नये विचारों और नये कार्यक्रमों की जरूरत है। पार्टी नेहरूगांधी परिवार के बाहर किसी नये नेता की तलाश कर रही है, तो उसे यह भी देखना होगा कि उस नेता के पास नये विचार भी हों यानी उसे नेता और कार्यक्रम, दोनों में नयापन चाहिए। आज यह बताने की स्थिति में कोई नहीं है कि रास्ता क्या होगा। पर जब आप इसी इरादे से मिलकर बैठेंगे तो कौन जाने रास्ता भी नजर आने लगे। पार्टी को जनता के मन को पढ़ना चाहिए। वह बहुसंख्यक समुदाय को कोसकर सफल नहीं हो सकती। चलना तो उसके साथ ही होगा। अतीत में भी कांग्रेस जब जनांदोलन के रूप में संगठित थी, तब बहुसंख्यक समुदाय को साथ लेकर चलती थी। बहुसंख्यक समुदाय संकीर्ण, नासमझ और अन्यायी नहीं है। आपने उसे समझने में गलती की है। पहले उसे भरोसे में लीजिए। उसके लिए जनता के भीतर से ही नेता निकलेंगे, जैसे अतीत में निकले थे।

यह भी सच है कि सत्ताविहीन राजनीतिक दलों का अस्तित्व बचा पाना संभव नहीं होता। चुनाव जीतना पहला काम है। कार्यकर्ता भी उसी पार्टी के पास जाते हैं, जो सत्ता में होती है। पर सत्ता में वही पार्टी होती है, जो जनता के मन को जीत पाती है। यह एक चक्र है। आने वाले समय में भारतीय राजनीति में यह चक्र चलता रहेगा। जरूरी नहीं है कि कोई एक पार्टी हमेशा सत्ता में रहे। सत्तर के दशक की शुरुआत में लगता था कि भारत में दूसरी पार्टी का खड़ा होना संभव ही नहीं, पर देखते ही देखते कहानी बदल गई।

पार्टी का स्टैंड

अनुच्छेद 370 केवल जम्मूकश्मीर का सवाल नहीं है। अलगअलग कारणों से पूरे देश की दिलचस्पी उसमें है। उसे हमारी व्यवस्था ने ही लागू किया था। उसे हटाना है, या नहीं हटाना यह हमारे बीच की बहस है। पर लोक सभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जिस बचकाने तरीके से राज्य की स्वायत्तता, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और विवाद की प्रकृति को लेकर बातें कहीं, उनसे उनके होमवर्क के स्तर की जानकारी मिलती है।

राज्य सभा में भुवनेश्वर कलिता ने पार्टी के स्टैंड को 'आत्मघाती' घोषित किया था। उधर, पी चिदंबरम कह रहे थे, 'आज का दिन भारत के सांविधानिक इतिहास का सबसे काला दिन है।' पता सिर्फ इतना करना है कि देश की जनता इन दोनों बयानों में से किसके साथ खड़ी है। सच यह है कि राज्य सभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है, फिर भी जम्मूकश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक पास हो गया। यह सिर्फ बीजेपी का राजनीतिक कौशल ही नहीं था।

परीक्षा अभी बाकी है। कश्मीर बंद है, पर वह धीरेधीरे खुल रहा है। देखना होगा कि स्थानीय और राष्ट्रीय राजनीति का रुख क्या होने वाला है। पीडीपी के सांसद ने संविधान की प्रति फाड़कर अपनी समझ का परिचय दे दिया है। पत्थर मार आंदोलन फिर शुरू हुआ और अराजकता फिर पैदा हुई, तो भारतीय वोटर की प्रतिक्रिया भी होगी। कांग्रेस को अपना रुख तय करना होगा। सब कुछ एकतरफा नहीं है। नब्बे के दशक के पहले और बाद के हालात एक जैसे नहीं हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के भीतर इस बात को समझने वाले नेता नहीं हैं। कांग्रेस को देश की भावना को समझना चाहिए।

जम्मूकश्मीर का भारत में विलय एक वास्तविकता है, और उसे लेकर हमारे बीच कोई विवाद नहीं है। हम जम्मूकश्मीर को विवादास्पद नहीं मानते। पाकिस्तान ने एक बड़े इलाके पर गैरकानूनी कब्जा कर रखा है, विवाद उसका है। हमारी संसद के दोनों सदनों ने 22 फरवरी, 1994 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था और उसमें इस बात पर जोर दिया था कि संपूर्ण जम्मूकश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसलिए पाकिस्तान को अपने कब्जे वाले राज्य के हिस्सों को खाली करना होगा। ■

कॉरपोरेट का गेट खोला

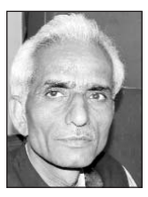

■ कृष्ण प्रताप सिंह
वरिष्ठ पत्रकार

देश में अब एक विधान, एक निशान। अगस्त में आई एक और क्रांति। इतिहास बना, भूगोल बदला। दूसरी आजादी। जम्मूकश्मीर 370 से आजाद। हिस्ट्री इन वन स्ट्रोक। हिस्टॉरिक मूव विदइन हंड्रेड डेज ऑफ मोदी-2। हिंदी और अंग्रेजी के राष्ट्रीय कहलाने वाले अखबारों की इन सुर्खियों को 'बमबम' न्यूज चैनलों के कलेजे में पड़ी ठंड और संघ परिवार के आह्लाद का तड़का भर दे दीजिए, बस। आपकी इस 'समझदारी' में कोई संदेह नहीं रह जाएगा कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 370 और 35ए जम्मूकश्मीर में सारे फसाद की जड़ बन गए थे, नरेन्द्र मोदी की अकूत शक्ति से संपन्न सरकार ने एक झटके में न सिर्फ उन्हें धता बता दी है, बल्कि देश के इस सीमावर्ती राज्य को उसके सारे विशेषाधिकारों के साथ राज्य के तौर पर सामान्य अधिकारों तक से वंचित करके सारी जग जीत ली है!

बताए-समझाए जैसा नहीं कुछ

लेकिन अफसोस कि सब कुछ वैसा हो नहीं है, जैसा बताया-समझाया जा रहा है। अगर किसी राज्य को मिला विशेष दरजा वहां एक साथ इतने गुल खिलाता है, तो इन बताने-समझाने वालों से पूछा जाना चाहिए कि नगालैंड जैसे कई और राज्यों के ऐसे विशेषाधिकारों को जम्मूकश्मीर के साथ ही क्यों नहीं निपटा दिया गया? और जिन्हें ऐसे विशेषाधिकार नहीं हैं, वे अभी तक भ्रष्टाचार, गरीबी और आतंकवाद जैसी समस्याओं से हलकान क्यों हैं? काश, ऐसे सवालों का सामना तक न कर पाने वाले हमारे वर्तमान सत्ताधीश किसी दिन समझ पाते कि पं. नेहरू कम से कम एक और मामले में बहुत 'नासमझ' थे। जम्मूकश्मीर की समस्या को फौरन से पेशतर हल कर लेने के पक्ष में थे। उन्हें कतई इल्म नहीं था कि उनके बाद उनकी कुर्सी पर बैठने वाले उनके वारिस, दल और विचारधाराओं का भेद किए बिना, इतने अक्षम, अलोकतांत्रिक और बदनीयत सिद्ध होंगे कि यह समस्या सात दशकों से भी ज्यादा लंबी उम्र पा जाएगी। जैसा कि अभी हाल में कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले उसके ह्विप भुवनेश्वर कलिता ने भी कहा है कि आधुनिक भारत के उस निर्माता को उम्मीद थी कि समय के साथ जम्मूकश्मीर और भाईचारा इतना प्रगाढ़ हो जाएगा कि 370 घिसतेघिसते पूरी तरह घिस जाएगा।

दुर्भाग्य से, और साफ कहें तो, जम्मूकश्मीर के साथ इस विश्वासघात जैसे पुराने घातों के कारण, यह अनुच्छेद घिसने के बजाय न सिर्फ खुद मजबूत होता गया बल्कि उसके समानांतर फैला परस्पर अविश्वास भी रक्तबीज होता गया। इस कदर कि आज अनुच्छेद 370 हटाने का अपना पुराना एजेंडा पूरा करने के लिए जम्मूकश्मीर को जेलखाने और सैनिक छावनी में बदल डालने वालों से कोई उम्मीद ही नहीं करता कि पं. नेहरू की उक्त उम्मीद और अपनी करतूत के बीच का फर्क महसूस कर सकेंगे।

इतिहास बनाया या बिगाड़ा या बदला?

पूर्वोत्तर से लेकर पंजाब तक देश में जहां कहीं भी आतंकवाद ने सिर उठाया है, उसे संबंधित क्षेत्र के नागरिकों को ज्यादा अधिकार देकर, साथ ही उनकी पहचान और भविष्य सुरक्षित होने का अहसास जगा कर ही काबू किया जा सका है, संगीनों की नोंक पर रखकर, अधिकार छीनकर या औकात बताकर नहीं। इसी बिना पर अब तक नागरिकों की मांगों के अनुरूप केंद्रशासित प्रदेशों को पूर्ण राज्य का दरजा दिया जाता रहा है, लेकिन अब इस प्रक्रिया को पलट कर जम्मूकश्मीर को पूर्ण राज्य के आसन से धकेल कर केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया है, और सरकार व उसकी दिन में तारे देखने में मगन मशीनरी समझना ही नहीं चाहते कि इस रास्ते पर चलकर इतिहास भले ही बनाया, बिगाड़ा या बदला जा सकता हो, भविष्य का निर्माण नहीं किया जा सकता।

बहरहाल, देश का इतिहास और भूगोल बदलने वाले इस फैसले का एक अंतर्विरोध गृह मंत्री अमित शाह की इस घोषणा में भी छिपा हुआ है कि जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, सरकार जम्मूकश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य बनाने की कोशिश करेगी? क्या अर्थ है इसका? यही तो कि अभी जो कुछ किया गया है, उसके पीछे कोई सुविचारित दीर्घकालिक नीति नहीं है। 'बादल घिरेंगे तो पानी बरसेगा और नहीं घिरेंगे तो धूप हो जाएगी' जैसी 'दूरदर्शिता' है, और 'पहले दिल्ली से दौलताबाद चलो, फिर दौलताबाद में हवाम्पानी रास न आए तो दिल्ली लौट आओ' जैसा 'दृढ़ निश्चय'!! ऐसे में भला कौन मानेगा कि सरकार सचमुच धरती के स्वर्ग और भारत के मुकटमणि के रूप में जम्मूकश्मीर की रक्षा करना चाहती है?

बिडंबना देखिए

जम्मूकश्मीर के विकास से जुड़ी इस सरकार की चिंता भी इतनी भर ही है कि 'कईकई कंपनियां वहां अपने कार्यालय, उद्योग और होटल वगैरह खोलना चाहती हैं, लेकिन नहीं खोल पा रहीं।' मतलब साफ है कि उसकी जिन कॉरपोरेटपरस्त नीतियों से सारा देश त्रस्त है, उसका सारा द्रविड़ प्राणायाम उनके जम्मूकश्मीर तक विस्तार के लिए ही है। इन नीतियों से गैरबराबरी और शोषण पर आधारित रोजगारविहीन और असंतुलित विकास हुआ भी तो जम्मूकश्मीर के आम लोगों के हाथ क्या आएगा? देश भर के उद्योगपतियों के विशालकाय और बहुमंजिले भवन उसके चिनार और देवदार के पेड़ों को मुंह चिढ़ाएंगे तो उन्हें और उनके साथ उन कश्मीरी पंडितों को कैसा लगेगा, मोदी सरकारों के छठे साल में भी जिनकी वापसी की राह हमवार नहीं हो पाई है? वे मिलकर पूछने लगे कि दूसरों को नाहक भी टुकड़ेटुकड़े गैंग की संज्ञा देती रहने वाली इस सरकार ने उनकी मर्जी जाने बगैर उनके राज्य के दो टुकड़े क्यों कर दिए तो सरकार उन्हें क्या जवाब देगी? लेकिन उनकी तो छोड़िए। इस सरकार के पास उन अटलबिहारी वाजपेयी तक के सवालों का जवाब नहीं है, जो इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत की बात करते थे। वरिष्ठ साहित्यकार विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है कि रामविलास पासवान ने उस दौर में जब वे भाजपा विरोध की राजनीति किया करते थे, उस पर बढ़त पाने के लिए संसद में कहा कि भाजपा मुझसे राम की बात क्या करेगी, मेरे तो नाम में ही राम है। इस पर अटल ने उन्हें यह कहकर लाजवाब कर दिया कि राम का क्या कीजिएगा, वह तो हराम में भी है ही। इस वाकये की बिना पर कहें तो अनु. 370 से आजादी दिलाने का जश्न वैसा ही है, जैसे हराम में राम। ■

भारत इस मसले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लेकर गया जहां साल 1948 में इस पर पहला प्रस्ताव आया

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सूची में यह था- प्रस्ताव नंबर 38. इसके बाद इसी साल प्रस्ताव 39, प्रस्ताव 47 और प्रस्ताव 51 के रूप में तीन प्रस्ताव और आए

इन प्रस्तावों का संक्षेप

■ **१७ जनवरी, १९४८** को प्रस्ताव 38 में दोनों पक्षों से अपील की गई कि वे हालात को और न बिगड़ने दें। इसके लिए दोनों पक्ष अपनी शक्तियों के अधीन हरसंभव कोशिश करें। साथ ही, यह भी कहा गया कि सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को बुलाएं और अपने मार्गदर्शन में दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत कराएं

■ **२० जनवरी, १९४८** को प्रस्ताव संख्या 39 में सुरक्षा परिषद ने तीन सदस्यीय एक आयोग बनाने का फैसला किया जिसमें भारत और पाकिस्तान की ओर से एकएक सदस्य और एक सदस्य दोनों चुने हुए सदस्यों की ओर से नामित किया जाना तय किया गया। इस आयोग को तुरंत मौके पर पहुंच कर तथ्यों की जांच करने का आदेश दिया गया

■ **२१ अप्रैल, १९४८** को प्रस्ताव संख्या 47 में जनमत संग्रह पर सहमति बनी। भारत और पाकिस्तान, दोनों के बीच जम्मूकश्मीर पर नियंत्रण का मुद्दा जनमत संग्रह के स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतांत्रिक तरीके से तय होना चाहिए। इसके लिए शर्त तय की गई थी कि कश्मीर में लड़ने के लिए जो पाकिस्तानी नागरिक या कबायली लोग आए थे, वे वापस चले जाएं

लेकिन 1950 के दशक में भारत ने यह कहते हुए इससे दूरी बना ली कि पाकिस्तानी सेना पूरी तरह राज्य से नहीं हटी है, और साथ ही इस भूभाग के भारतीय राज्य का दरजा तो वहां हुए चुनाव के साथ ही तय हो गया था

गोपालस्वामी अय्यंगर का रोल रहा अहम

सरदार वल्लभ भाई पटेल के निजी सचिव रहे एवं उनके पत्रों के संकलन के संपादक वी शंकर के मुताबिक संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़ने का काम पटेल ने किया था।

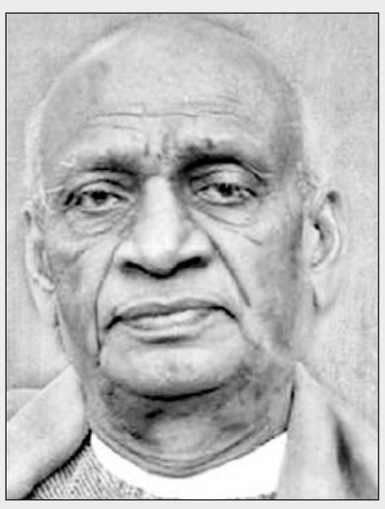

वी. शंकर के मतानुसार...

- इस सारे कार्य का संचालन गोपालस्वामी अय्यंगर ने शेख अब्दुल्ला और उनके मंत्रिमंडल के साथ सलाह-मशविरा करके जवाहरलाल नेहरू के समर्थन से किया। नेहरू उस समय अमेरिका में थे
- कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा में इस मसौदे का हिंसक ढंग से विरोध किया
- कांग्रेस की सिद्धांततःराय थी कि अन्य राज्यों की तर्ज पर कश्मीर को मूलभूत संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत स्वीकार किया जाना चाहिए
- पटेल नहीं चाहते थे कि नेहरू की अनुपस्थिति में ऐसा कुछ हो जिससे नेहरू को नीचा देखना पड़े। इसलिए उनकी अनुपस्थिति में पटेल ने कांग्रेस को अपना रवैया बदलने के लिए समझाने का काम खुद ही संभाल लिया
- यह काम इतनी सफलता से हुआ कि संविधान-सभा में इस अनुच्छेद की बहुत चर्चा नहीं हुई और न इसका विरोध हुआ
- अनुच्छेद 370 को संविधान में जुड़वाने के बाद पटेल ने नेहरू को 3 नवम्बर, 1949 को पत्र लिखकर इसके बारे में सूचित किया-'लंबी चर्चा के बाद पार्टी को सारे परिवर्तन स्वीकार करने के लिए समझा सका'
- पटेल की मृत्यु के बाद जब जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अनुच्छेद 370 खत्म कराने के लिए आंदोलन छेड़ा, तब 25 जुलाई, 1952 को नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा, 'यह मामला 1949 में हमारे सामने तब आया था, जब संविधान को अंतिम रूप दिया जा रहा था। सरदार पटेल ने तब इस मामले को अपने हाथ में लिया, उन्होंने हमारे संविधान में जम्मूकश्मीर राज्य को विशेष, लेकिन परिवर्तनशील का दरजा दिया। यह संविधान में अनुच्छेद 370 के रूप में शामिल है'
- जवाहरलाल नेहरू ने इस कार्य के लिए हमेशा सरदार वल्लभभाई पटेल को उचित श्रेय दिया